रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032021-225771 CG-DL-E-10032021-225771

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1009]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942 NEW DELHI. WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

No. 1009]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2021

का.आ. 1097(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा-16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित एसिटोन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) यह आदेश 14 सितंबर, 2021 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 13012/24/2019-रसा-II]

समीर कुमार बिश्वास, अपर सचिव

नोट: एसिटोन के लिए मुख्य आदेश को 16 जून, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1896(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इस दिनांक 09 सितंबर, 2020 की अधिसूचना का.आ. 3087(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

1474 GI/2021 (1)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 8th March, 2021

S.O. 1097(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Acetone (Quality Control) Order, 2020 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 14th September, 2021."

[F. No.13012/24/2019- Chem. II]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secy.

Note: The principal order for Acetone was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 1896 (E) dated the 16th June, 2020 and subsequently amended vide notification number S.O. 3087(E) dated 09th September, 2020.